



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29062026-273918
CG-MH-E-29062026-273918

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3305]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948

No. 3305]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई,, 25 जून, 2026

का.आ. 3439(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड 37A के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार इसके ज़रिए पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद डिवीज़न में आदिपुर-भुज दोहरीकरण परियोजना (48.94 किमी) को गुजरात राज्य में ज़मीन अधिग्रहण के लिए एक 'विशेष रेलवे प्रोजेक्ट' के तौर पर अधिसूचित करती है, ताकि इस अधिसूचना को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जा सके।

[फा. सं. ई-कार्यालय फ़ाइल संख्या 752029]
एस.आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण)-II

MINISTRY OF RAILWAY**[Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Mumbai, the 25th June, 2026

S.O. 3439(E).—In exercise of the powers conferred by clause 37A of Section 2 of the Railways (Amendment) Act 2008 the Central Government hereby notifies Adipur-Bhuj Doubling project (48.94KM) in Ahmedabad Division on Western Railway as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Gujarat, for providing of this notification in the Official Gazette.

[F. No. E office file No. 752029]

S.R. PRASAD, Chief Project Manager (C)-II